

राजस्थान सरकार

मान्यमान जयपुरी

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांक 273/04-05

यह प्रमाणित किया जाता है कि सत्य एन एन.जी.ओ (Satya An NGO), जयपुर संघ जिला जयपुर का पंजीकरण राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अंतर्गत दिनांक 19 जुलाई, 2004 को किया गया था।

अब इस संस्था का नाम परिवर्तन कर

NIDS-SATYA

(National Institute of Development Studies and Action)

कर दिया गया है। यह परिवर्तन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के प्रावधानान्तर्गत किया गया है।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील से आज दिनांक 23.04.2019 को जयपुर में दिया गया।



Signature
रजिस्ट्रार (संस्था)
एवं जयपुर रजिस्ट्रार
सहकारी समितियाँ, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय बाल अधिकारिता

20/148 सेक्टर-2, कोवरी पथ, माजरा रोड, जयपुर।
Email ID: -ccs@rajasthan.gov.in

संस्कृत सं. 2017/148/बाल/अ.दि / कोवरी पथ / पिन- 302 015 / जयपुर

जयपुर दिनांक-27.12.2017

पंजीयन प्रमाण पत्र
(Registration Certificate)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 41 (1) के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवस्थापक संस्था सत्या एन.एन.जी.ओ., 105, टैगोर नगर, किरण पैलेस रोड के पीछे, जयपुर द्वारा अधिनियम की धारा 50 में संघालित सत्या बाल आश्रम, निम्नलिखित बाल बूढ़, श्याम पारसी परसा, पो. बड़ के बालाजी, भांकरोटा, तह. सांगानेर, जयपुर का प्रोत्साहित स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 14.12.2017 में लिये गये निर्णय के अन्तर्गत पर तारीख से 27.12.2017 बाल देखरेख संस्थान के तौर पर दिनांक 28.12.2017 तक के लिए पैंथ पंजीकरण सं. 38724 प्रदान किया जाता है।

50 बालकों की क्षमता वाला यह संस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 तथा केंद्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करने के साथ-साथ सलोन शर्तों की अनुपालना हेतु भी बाध्य होगा।

(जे.सी.देसाई)
निदेशक

निदेश सं. 2017/148/बाल/अ.दि / कोवरी पथ / पिन- 302 015 / जयपुर

जयपुर, दिनांक-27.12.2017

प्रतिलिपि निम्न की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला अधिकारी, अध्यापन, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर।
3. राजकीय आयुक्त जयपुर।
4. जिला मजिस्ट्रेट जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक जयपुर।
6. न्यायिक अधिकारी, आईसीपीएस, मुख्यावास।
7. प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड जयपुर।
8. उप-निदेशक, सार्वजनिक एवं जिला बाल संरक्षण इकाई जयपुर।
9. अग्रिम सचिव, बाल कल्याण समिति जयपुर।
10. निदेशक, राजकीय सम्प्रदाय एवं किशोर नृशिशु बृहद्बालिका बृह जयपुर।
11. जिला मजिस्ट्रेट, मुख्यावास।
12. जयपुर पुलिस अधीक्षक, प्रत्यक्ष प्रमुख, पुलिस, मुख्यावास।
13. सत्या समिति, सत्या एन.एन.जी.ओ., 105, टैगोर नगर, किरण पैलेस रोड के पीछे, जयपुर।
14. प्रतिलिपि प्रेषित।

निदेशक 27/12/17

